

**महिला एसएचजी सदस्यों के स्वामित्व वाले उद्यमों को 1.5 लाख रुपये तक के ऋण पर ब्याज अनुदान (सबवेंशन) का दावा**

बैंक /ऋण देने वाली संस्था का नाम:

..... से ..... की अवधि के लिए दावों का विवरण: 1.5 लाख रुपये तक का संवितरित/बकाया ऋण

..... से ..... की अवधि के दौरान खोले गए नए ऋण खाते		..... के रूप में बकाया (पिछली अवधि के अंत में)			..... के रूप में कुल बकाया		ब्याज अनुदान (सबवेंशन) की राशि @ 2%
खातों की सं.	राशि	खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि	राशि	

ब्याज सबवेंशन का लाभ उठाने वाले विशिष्ट स्वयं सहायता समूहों की संख्या	ब्याज सबवेंशन की राशि

एनबी: वास्तविक आंकड़ों में संख्या (सं.) और राशि

हम प्रमाणित करते हैं कि यह खाते डीओआरडी के दिशानिर्देशों के अनुसार ब्याज अनुदान (सबवेंशन) के लिए पात्र हैं और बैंक/उधार देने वाली संस्था ने इन सभी खातों को सीबीएस पर 'डीएवाई-एनआरएलएम के तहत एसएचजी' के रूप में सत्यापित और चिह्नित किया है। हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि शाखा स्तर से ब्याज अनुदान (सबवेंशन) का दावा प्रस्तुत करते समय दावों में कोई दोहराव नहीं है और न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप रहा है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि प्राप्त सभी पिछले दावे संबंधित लाभार्थी खातों में जमा कर दिए गए हैं और बैंक के पास कोई शेष राशि नहीं है।

दिनांक:

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता और मुहर

सांविधिक लेखापरीक्षक के हस्ताक्षरकर्ता और मुहर

(यह दावा प्रारूप, वर्ष के लिए समेकित, सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित किया जाए और 30 सितंबर 2026 के भीतर 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले तिमाही के दावों के साथ प्रस्तुत किया जाए।)